Fourteenth Loksabha

Session : 8
Date : 03-08-2006

Participants : Panda Shri Brahmananda,Mistry Shri Madhusudan Devram,Kumar Shri Shailendra,Athawale Shri Ramdas,Shukla Smt. Karuna,Deo Shri Bikram Keshari,Pawar Shri Sharad Chandra Govindrao,Singh Ch. Lal,Yadav Shri Ram Kripal,Pawar Shri Sharad Chandra Govindrao,Rawat Prof. Rasa Singh

an>

Title : Discussion on the motion for consideration of the Spirituous Preparations (Inter-State Trade and Commerce) Control (Repeal) Bill, 2006, as passed by Rajya Sabha.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House shall now take up Item No.17.

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI SHARAD PAWAR): Sir, I beg to move:

> "That the Bill to repeal the Spirituous Preparations (Inter-State Trade and Commerce) Control Act, 1955, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

Sir, the Spirituous Preparations (Inter-State Trade and Commerce) Control Act 1955 was enacted with a view to making provisions for the imposition in the public interest of certain restrictions on inter-State trade and commerce in spirituous medicinal and other preparations. The Act also empowers the Central Government to specify a prohibition State in which or any part of which the consumption of alcoholic liquor may be prohibited by law and also to declare preparations containing alcohol to be a spirituous preparations within the meaning of this Act.

The Central Government constituted a Commission on Review of Administrative Laws under the Chairmanship of Shri P.C. Jain on 8th May, 1988 with the objective of undertaking, *inter alia*, review of laws and regulations and for making recommendations for repeal/amendments of such laws and regulations.

The Commission, *inter alia*, recommended repeal of the Spirituous Preparations (Inter-State Trade and Commerce) Control Act, 1955.

At present, Gujarat is the only State having policy of prohibition. The Government of Gujarat has informed that they have made the Gujarat Spirituous Preparations Rules, 2005 under the Bombay Prohibition Act, 1949 and, therefore, the State Government have no objections to the repeal of this enactment.

Under the circumstances, the Spirituous Preparations (Inter-State Trade and Commerce) Control Act, 1955 has become obsolete and the Central Government considers it appropriate to repeal the Act.

Sir, since the Spirituous Preparations (Inter-State Trade and Commerce) Control (Repeal) Bill, 2006 has already been passed by Rajya Sabha, I therefore, beg to take leave to move the motion for consideration and that the Bill be passed.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

> "That the Bill to repeal the Spirituous Preparations (Inter-State Trade and Commerce) Control Act, 1955, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration[Rs67]."

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय कृषि मंत्री शरद पवार जी द्वारा प्रस्तुत स्पिरिटयुक्त निर्मिति (अंतर्राज्यिक व्यापार और वाणिज्य) नियंत्रण (निरसन) विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूं। वास्तव में भारत सरकार ने जो पी.सी.जैन की अध्यक्षता में एक प्रशासनिक विधि पुनरावलोकन आयोग का गठन किया था, जिसको काम दिया गया था कि ऐसे विधि या कानूनों का पुनरावलोकन करें समीक्षा करें, संशोधन करें अथवा निरसन के लायक हों तो उसकी सिफारिश करें। उस आयोग ने सिफारिश की कि इस कानून की उपयोगिता खत्म हो गई है क्योंकि गुजरात ने अपना कानून बना लिया है और वहां पर बॉम्बे स्टेट का जो कानून था, उसे अपने यहां लागू कर दिया है। इसलिए इस कानून की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मंत्री जी इस कानून का निरसन करने का प्रस्ताव लाए हैं। प्रस्ताव का तो हम समर्थन करते हैं लेकिन आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत जो नीति निर्देशक तत्व हैं और उसमें जो मद्य निोध की नीति थी, उसकी आज़ाद भारत के अंदर किस प्रकार से धज्जियां उड़ रही हैं, यह कहने की आवश्यकता नहीं है। महात्मा गांधी जी के जो आदर्श थे, हमारे स्वाधीनता सेनानियों के जो आदर्श हैं कि स्वतंत्र भारत के अंदर शराब पर पाबंदी होगी, शराब का खुला व्यापार नहीं होगा, लेकिन आज विज्ञापनों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, पर्यटन के नाम पर पाश्चात्य संस्कृति का जिस प्रकार से दुप्रचार हो रहा है, पत्र-पत्रिकाओं और मीडिया के

माध्यम से शराब का प्रचलन और बढ़ रहा है, जो लोग कभी शराब का सेवन नहीं करते थे, आज उन् ऊंचे तबकों में शराब शान की चीज़ समझी जाती है, समाज के अंदर शराब पीने वालों की प्रतिठा मानी जाती है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस रिपील का तो हम समर्थन कर रहे हैं लेकिन देश के अंदर जो वस्तुस्थिति है मद्य निोध को लागू करने की, उस पर सरकार ध्यान दे और कोई नया कानून लाना पड़े तो लाया जाए और मद्यपान की वृत्ति को कम करने का प्रयास किया जाए। हालांकि हमारा समाज कल्याण विभाग इसके लिए काफी प्रचार भी करता है। एक तरफ तो बोर्ड लगा होता है कि शराब पीने से क्या क्या नुकसान होते हैं और दूसरी तरफ शराब की दुकान पास में होती है, ठंडी बीयर की दुकान, कोआपरेटिव की दुकान, सस्ती शराब की दुकान पास में होती है। यह क्या हो रहा है? हम आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करना चाहेंगे कि गांधी जी का नाम लेने वाले, गांधी जी के आदर्शों पर चलने का दम भरने वाले महानुभावों से प्रार्थना है कि गांधी जी के सपनों का भारत बनाने के लिए मद्यपान पर कड़ाई से निोध किया जाए। इस कानून का खात्मा हो रहा है, यह अच्छी बात है। हम इसके निरसन का समर्थन करते हैं।

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा) : मैं तो सिर्फ दो चार बातें उनको याद दिलाने के लिए कह रहा हूं।

Gujrat is the only state, which has in fact adhered to the prohibition policy. Most of the states in India do not want to remove this partly because there is a great temptation to earn more and more money for the exchequer.

17.58 hrs.

(Shri Devendra Prasad Yadav in the Chair)

मैं आपके माध्यम से रासा सिंह रावत जी का ध्यान आकर्ति करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार को सेल्स टैक्स के बाद सबसे ज्यादा आय शराब से ही होती है। आज से करीब सात-आठ साल पहले उनकी आय 700 करोड़ रुपये थी और मैं मानता हूं कि आज वह आय दोगुनी होकर 1500 करोड़ रुपये से 2000 करोड़ रुपये के बीच होगी। ...(व्यवधान) मध्य प्रदेश के अंदर भी यही परिस्थिति है। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : रासा सिंह रावत जी, आप स्थान ग्रहण कीजिए। हम आपको अलाऊ नहीं कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री मिस्त्री के अलावा कोई बात रिकार्ड पर नहीं जाएगी।

(Interruptions) ...*

श्री मधुसूदन मिस्त्री : मैं आपका समर्थन करूंगा यदि पूरे देश की प्रदेश सरकारें इसको बंद करती हैं क्योंकि पूरे देश में जगह जगह पर आंदोलन चले थे। आपको याद होगा कि आंध्र प्रदेश में भी दो तीन साल बंद करने के बाद फिर शराब शुरू की गइÇ[h68]।

18.00 hrs.

केवल गुजरात को छोड़ कर सब स्टेट ऐसे हैं, जहां ज्यादा से ज्यादा आय प्राप्त होती है। गुजरात को बहुत सारे लॉस सहन भी करने पड़ते हैं, लेकिन आज सबसे ज्यादा सेल्स टैक्स गुजरात के अंदर है। दिल्ली के बाद यही एक ऐसा स्टेट है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा सेल्स टैक्स है। मैं इसका समर्थन करता हूं और गुजरात स्टेट ने जो जवाब दिया है, कि उन्होंने रूल्स बना दिए हैं, इसकी वजह से उन्हें अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं रासा सिंह जी की भावना से सहमत हूं, लेकिन मैं उनसे यह जरूर कहूंगा कि जहां-जहां ऐसी सरकारें हैं, गैर कांग्रेसी सरकारें भी हैं और आपके पक्ष की भी सरकारें हैं, आपकी सरकार और आपके नेता उसमें पहल करें तथा इन सब राज्यों से शराब को हटाएं, जिसकी वजह से लोगों का थोड़ा बहुत कल्याण हो सके।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो स्पिरिचुअस निर्मिति (अंतरराज्यिक व्यापार और वाणिज्य) नियंत्रण (निरसन) विधेयक, 2006 प्रस्तुत किया है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। जैसा कि इस विधेयक में कहा गया कि अधिनियम, 1955 को निरसित करने के लिए यह विधेयक है। यह बात सत्य है कि तमाम देश के अंदर जितनी भी औाधियां हैं, आप कोई भी औाधि ले लीजिए, उसमें अल्कोहल के कुछ अंश जरूर होते हैं। जैसे हम गाड़ियों में स्पीड फ्यूल प्रयोग करते हैं, उसमें भी स्पिरिट की मात्रा मिलाई जाती है। इस प्र ाकार से तमाम वाणिज्यिक और व्यापारिक क्षेत्र में देखा जाए, जैसे उत्तर प्रदेश में ज्यादातर गन्ने, महुवे का उत्पादन होता है और गन्ने से भी स्पिरिट बनाई जाती है, उसमें से भी अल्कोहल निकलता है। उत्तर प्रदेश में मेंथाल, पीपरमेंट बनता है। फ्यूल में जो स्पिरिट प्रयोग हो रहा है, उससे बहुत बड़ा फायदा है, उससे गाड़ी की स्पीड केपेसिटी बढ़ती है, उसमें पोल्यूशन नहीं होता और उसमें कार्बन नहीं निकलता तथा पर्यावरण भी शुद्ध रहता है। इसलिए राज्यों द्वारा व्यापार करने पर जो रोक लगी थी, आपने इस विधेयक के द्वारा उस रोक को खत्म किया है, इसलिए यह बहुत अच्छा विधेयक है। तमाम वाणिज्यिक और व्यापारिक क्षेत्र में प्रयोग में आने वाले जो अल्कोहलिक पदार्थ हैं, क्योंकि अब यह लगभग सब जगह प्र ायोग होता है, पहले कुछ राज्यों में इसकी बंदिश थी, जैसे अभी गुजरात में कहा गया, अब गुजरात ने भी इसकी सहमति व्यक्त कर दी है। अभी भी कुछ राज्यों में मद्य निोध लागू है, मेरे ख्याल से मद्य निोध का तो एक नाम रह गया है, उसका सही मायने में आज तक किसी भी राज्य में उ पयोग नहीं हो पाया। आज जिस प्रकार से बहुराट्रीय कम्पनियां आ रही हैं, हम तमाम व्यापारिक और वाणिज्यिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धा में हैं। यह जो ि वधेयक आया है, इससे हमें काफी तरक्की मिलेगी और हम विकास करेंगे।

सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। यह विधेयक राज्य सभा में पास हो गया है, इसलिए लोक सभा में भी इसे पास किया जाए।

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी जो स्पिरिटयुक्त निर्मिति (अंतरराज्यिक व्यापार और वाणिज्य) नियंत्रण (निरसन) विधेयक, 2006 लाए हैं, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री जी ने इसकी तकनीकी बातों की जानकारी अपने उद्देश्य और कारणों में बताई है, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। मैं साफ तौर पर यह कहना चाहूंगा, यह बात सही है कि एक्साइज़ डिपार्टमेंट के माध्यम से बिक्री होने वाली सामग्री देश के पूरे प्रदेशों में आय का सबसे मुख्य स्रोत हो गई cè[R69]।

सभापति महोदय, इससे कई तरह के नुकसान हो रहे हैं। जब जनता पार्टी की सरकार पहली बार बनी और आदरणीय मोरारजीभाई देसाई प्रधान मंत्री बने, तो देश के लोगों के सामने एक कमिटमेंट थी कि शराबबन्दी करेंगे और उसके अनुसार कई राज्यों में शराबबन्दी हुई। हमारे बिहार राज्य में भी शराबबन्दी की गई, लेकिन बहुत से ऐसे राज्य भी थे जिन्होंने शराबबन्दी नहीं की। हमारे बगल के उत्तर प्रदेश राज्य में शराबबन्दी नहीं की गई। इस सबके बावजूद देश में बहुत बड़े पैमाने पर अवैध तरीके से शराब की बिक्री होती रही और लोग शराब पीते रहे। इससे बहुत बड़े पैमाने पर आर्थिक क्षति भी होती रही और स्वर्गीय मोरारजीभाई देसाई का जो मूल परपज था, वह पूरा नहीं हो सका।

महोदय, आज माननीय रासा सिंह रावत जी ने जिन भावनाओं को सदन में रखा, मैं समझता हूं कि उनसे पूरा सदन सहमत है, लेकिन व्यावहारिकरूप में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। शराबबन्दी नहीं होने और लोगों द्वारा शराब पीने की वजह से कई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। गरीब तबके के लोग, जो दिनभर खेत-खलिहानों में, सड़कों पर मेहनत और मजदूरी करके पैसा कमाते हैं, उसे शाम को शराब पीकर गंवा देते हैं और अपने परिवार को एक वक्त की रोटी भी नहीं खिला पाते हैं। लोगों के परिवार बर्बाद हो रहे हैं। गरीब तबके के लोगों और अधिकतर सफाई कर्मचारियों का सारा पैसा इसी में जाता है और कई तो ऐसे घर हैं जिनकी पूरी की पूरी कमाई इसी में चली जाती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार को इस पर गम्भीरता से सोचना चाहिए कि हम शराब पीने से लोगों को कैसे रोकें।

महोदय, शराबबन्दी हो, लेकिन इसमें जबर्दस्ती नहीं होनी चाहिए बल्कि इसके लिए अवेयरनैस पैदा की जानी चाहिए। सामाजिक रूप से ऐसा माहौल पैदा किया जाना चाहिए जिससे शराब पीने वालों के जहन में यह बात पैदा हो कि शराब पीने से शरीर और परिवार की बर्बादी के अलावा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। शराब पीकर लोग घर जाते हैं और पत्नी तथा बच्चों को पीटते हैं। इससे परिवार बर्बाद हो रहे हैं। शराब पीने के बाद लोग अपराध में संलिप्त हो जाते हैं। हर आदमी में दो तरह के इंसान होते हैं। एक अच्छा इंसान और दूसरा खराब इंसान। शराब पीने के बाद खराब इंसान आदमी पर हावी हो जाता है और वह अपराध कराता है। आज गरीब आदमी, दलित और जिन परिवारों के लोग शराब पीते हैं, वे तरह-तरह के क्राइम करते पाए जाएंगे।

महोदय, सभी लोग मानते हैं कि नीतिगत रूप से शराबबन्दी होनी चाहिए, लेकिन इसमें हमें सफलता नहीं मिल रही है। इससे बहुत क्षति हो रही है। कई राज्यों में तो धन कमाने के लालच में वहां की सरकारों द्वारा स्कूल, धार्मिक स्थानों जैसे मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों के निकट शराब के ठेके खोलने के लाइसेंस दे दिए जाते हैं जिससे हर प्रकार के अपराध बढ़ रहे हैं और शराब पीने वालों की संख्या में बढ़ोत्तरी होती जा रही है। मेरा आग्रह है कि सरकार को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। राट्रपिता महात्मा गांधी की जो मूल अवधारणा थी कि देश में पूर्ण रूप से मद्यनिषेध हो, उसमें अभी तक हमें सफलता नहीं मिली है। हमें राट्रपिता की मूल भावनाओं की कद्र करते हुए, देश में पूर्ण मद्यनिषेध पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए और यदि ऐसा हम कर सके, तो निश्चितरूप से यह पूरे देश, समाज, दलितों और गरीबों के लिए सराहनीय और कारगर कदम होगा।

महोदय, माननीय रासा सिंह रावत जी, जब महात्मा गांधी जी का नाम लेते हैं, तो मैं चाहूंगा कि उन्हें राट्रपिता की मूल भावना की भी कद्र करनी चाहिए। * ...वे मद्यनिषेध की बात करें, तो उसका क्या औचित्य है, यह मेरी समझ से परे है। * ...और ये यहां मद्यनिषेध की बात कर रहे हैं। यह उन्हें शोभा नहीं देता है। इनकी पार्टी के नेता ने अपनी किताब में स्वयं लिखा है कि वे आतंकवादियों और अपराधियों को छोड़ने कंदहार गए *,......(व्यवधान) [rpm70]

इसलिए माननीय मंत्री जी जो विधेयक लाए हैं, इसकी आज के परिवेश में कोई महत्ता नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप कोई ऐसा कारगर कदम उठाइए, जिससे देश के गरीब आवाम को बचाया जा सके। इसलिए इस पर निश्चित रोक लगाने की आवश्यकता है। इसके लिए हम सभी लोगों को प्रयास करना होगा, फिर चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों। सभी को मिलजुल कर काम करना होगा।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप जल्दी समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव : महोदय, आप तो नाराज हो रहे हैं। मैं अपनी बात समाप्त ही कर रहा हूं।...(व्यवधान)

* Not recorded

सभापति महोदय : मैं नाराज नहीं हो रहा हूं। आप आसन को सहयोग कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव : महोदय, मैं तो हमेशा सहयोग करता हूं। मैं अपनी बात को समाप्त ही कर रहा हूं।

महोदय, जब तक समाज में इसके लिए जागरूकता नहीं आएगी, लोगों के मन में यह बात नहीं बैठ जाएगी कि शराब पीना अच्छी आदत नहीं है तब तक यह बंद नहीं होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

SHRI BRAHMANANDA PANDA (JAGATSINGHPUR): Mr. Chairman, Sir, I am extremely grateful for giving me an opportunity to express my views on this subject.

Sir, prohibition is our dream. That was the dream of our Father of the Nation, and that is also the spirit of the Constitution. I would like to bring to the notice of the hon. Chairman that the noble object of the 1955 Act was to make provision for the imposition, in the public interest, of certain restrictions on inter-State trade and commerce in spirituous medicinal and other preparations. The Act empowered the Central Government to specify a prohibition State in which or any part of which the consumption of alcoholic liquor may be prohibited by law and also to declare any preparation containing alcohol to be a spirituous preparation within the meaning of this Act.

That is the object. I would like to highlight certain things to understand whether that object can be protected or not. Hon. Chairman, Sir, my apprehension is that this may lead to free flow of liquor. As you know, Orissa and some other States are dominated by Scheduled Caste people and they have got their own innovation to prepare Khandia and Mahua from Mahua flowers, which is good for their health. My apprehension is that this Indian-made liquor may have influence on their health and it may be injurious.

My second apprehension in this regard is, whether the interest of different small States can be protected or not. That is to be looked into. My third apprehension in this regard is that this will encourage liquor tragedies. As you know, now-a-days liquor tragedy has become a common phenomenon throughout the country. This is because of free flow of liquor[m71].

We have to bring a check that this nexacious, injurious and spurious liquor should not flow in the market. For that we must be very conscious. As you know, we are in a civilised society. Though the dream of Gandhiji was for prohibition, but now we find that near school campuses and in all public places the liquor shops are opened as a result of which it has become a question mark whether we can make India a super power. It was said

by 2020 India will be a super power in the world. In these circumstances, I want to know whether that dream is going to be materialised or not. That should be looked into.

We find that in some States, as you know, instead of encouraging the farmers for producing paddy and other crops, they are being encouraged to cultivate the grapes for wines and this has become a common feature. To have a safe, modern India, I would like to appeal to the Government through you that when we are repealing this Act, that the objective of this 1955 Act is not to be frustrated. That should be looked into.

Thank you very much for giving me the opportunity.

SHRI BIKRAM KESHARI DEO (KALAHANDI): Mr. Chairman, Sir, Spurious Preparations Control (Repeal) Bill which is being piloted by the hon. Minister of Agriculture is, in a way, good. But at the same time, alcohol is also a social evil at various stages. This Bill is completely abolishing the Act with a sense to encourage grape production and thereby producing Indian wines. As per the paper reports, the Indian wine is comparable to French wine, Canadian wine and the South African wine. It has got a big export potential which is there for Indian wine. It must be a welcome measure for that.

But the other thing which we have to consider is the social evil. The regulation of liquor laws and excise laws is usually done by the States. For example, late N.T. Rama Rao, when he was the Chief Minister of Andhra Pradesh imposed a ban on liquor in Andhra Pradesh. But there was a clamour among the tribals who were drinking toddy from the palm tree which was their natural habit, which was a natural fruit for them. So, they could brew their own liquor. That was allowed. Similarly, in Orissa also, in the tribal areas, they were first permitted to brew five litres of the local brew from the *mahua* flower which is found abundantly in the State of Orissa and a lot of liquor is being made from them. But with the inclusion of these private liquor vendors from other States, who are known basically as *bhattiwalas*, it has become worse. They come and dominate in those areas. Though this is a State subject, I have to bring it to the notice of the august House, the reason being that the Orissa Government also should be enlightened about the issue that these *bhattiwalas* go and create a rein of terror. They are mainly from Bihar, Chhattisgarh and Jharkhand. They should not impose their liquor upon the tribals which is being done abundantly today. It is a fact that a lot of revenue comes from excise. But I would like to know how much does a State Government spend for anti-alcohol consumption. How many advertisements they issue? At how many places they do it for prohibition? How much publicity goes to that? It does not happen. The call by Gandhiji was that liquor is bad for human body[krr72].

It is especially so in our climatic conditions. It is a social evil. I hope, after the abolition of this Bill, its aim and objective of prohibition will not be affected. I commend the Gujarat Government for getting prohibition in the State by sacrificing so much of excise. Today, that is one of the most advanced States in the country, without liquor revenue also. That is one of the progressive economic States in the country, without excise revenue from the liquor and they are going ahead. So, there is no question of opposing the Bill.

My feeling is that after abolition of this Bill, there will be free flow of liquor which is a very dangerous for the poor people. This is one of the reasons why NREGP might fail. NREGP is an employment generation programme to employ one person from a BPL family in labour-intensive work in his village. But how much money does he take back to his family? If *bhattiwala* or liquor vendor is there, the money does not go to the family. It goes to that liquor vendor. So, these evils have to be properly checked and stricter laws should be brought by the State Governments, as advised by the Centre.

With these words, I thank you.

MR. CHAIRMAN : Shri Girdhari Lal Bhargava – not present.

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : सभापति महोदय, स्पिरिट युक्त निर्मिति के नियंत्रण के लिए जो विधेयक शरद पवार जी लेकर आए हैं, इसका हम सब लोग समर्थन कर रहे हैं, इसका समर्थन करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह बिल इतना अच्छा है। ये लोग महांत्मा गांधी जी का नाम ले रहे हैं, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने मद्यपान का विरोध किया था, इसलिए ये उनका नाम ले रहे हैं, लेकिन गुजरात में दंगे के संबंध में यही लोग महात्मा गांधी जी को भूल रहे हैं। यह ठीक है कि मद्यपान से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो रही है, लेकिन यह भी सच है कि कुछ लोगों को इससे जिंदगी भी मिल रही है, इसलिए इसके बारे में भी हम सब लोगों को विचार करना चाहिए। यह बात सही है कि समाज में मद्यपान से गरीब फेमिलीज हों या मिडिल क्लास के लोग हों, उनको ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो रहा है। गुजरात में इस पर पाबंदी और नियंत्रण है, लेकिन अगर आप गुजरात में देखेंगे, तो उस राज्य में ज्यादा पीने वाले लोगों की संख्या है। इसी तरह महाराट्र में वर्धा जिले में दारू की पाबंदी है, लेकिन अगर आप वहां जाकर देखेंगे, तो वहां पीने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है और वहां इस तरह की स्थिति है। अगर वास्तव में इस पर पाबंदी लगाना है, तो इसके लिए सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता है। हम सब को मिलकर इस पर पाबंदी लगाने के लिए लिए प्रयास करना होगा, केवल कानून बनाने से काम नहीं चलेगा। हम इस कानून का समर्थन करते हैं और हम सब को इसका समर्थन करने के लिए आगे आना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर) : महोदय, मैं आप की परमीशन से माननीय मंत्री जी द्वारा लाए गए बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं दो-तीन सुझाव देना चाहता हूं। आज जो मुल्क की हालत है, मैं उसके बारे में कुछ कहना चाहूंगा। हमारे एक साथी हरियाणा की बात कर रहे थे, हरियाणा के लोग इतने जबरदस्त लंबे, चौंड़े और खूबसूरत जवान हुआ करते थे और पंजाब में भी यही हाल था। वे सुबह उठकर लस्सी पीते थे। ...(व्यवधान) मेरे कहने का मकसद यह है कि इससे लोग बरबाद हुए। आज डकैती, चोरी और बेईमानी इतनी बढ़ गयी है।

सभापति महोदय : बहुत से सदस्य जीरो ऑवर में बोलना चाहते हैं। आप अपनी बात जल्दी समाप्त करिए।

चौधरी लाल सिंह : मैं कहना चाहता हूं कि इस चीज को जितना स्ट्रिक्ट किया जाए, उतना कम है। ये चीजें नहीं रूकेंगी, तो समाज की बुराइयां कभी नहीं रूक पाएंगी। अगर हम अपने-अपने स्टेट की बात करें, हमारी हर राज्य में अपनी गवर्नमेंट है। इससे हमारी इंकम होती है, लेकिन जितनी इंकम आती है, उतने ही हास्पिटल्स बढ़ रहे cé[c73]।

इससे लोगों को बीमारियां हो रही हैं, उनके फेफड़े खराब हो रहे हैं। अगर आप गावों में जाकर देखें तो पता लगेगा कि शराब पीने की वजह से जो लोग मर जाते हैं, उनकी विधवाओं को ज्यादा पैंशन देनी पड़ती है। पहले देश के लिए जंग में मारे जाने की वजह से उनकी पत्नियां विधवा हो जाती थीं, लेकिन आजकल शराबी पतियों की वजह से औरतें विधवा हो रही हैं। मैं चाहता हूं कि इसे रोका जाए, यह बहुत ही सीरियस मसला है।...(व्यवधान)

मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे बुजुर्गों खासकर महात्मा गांधी जी का जो कहना है, उसे आगे बढ़ाना चाहिए।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : मंत्री जी ने आपके सुझावों को नोट कर लिया है।

श्रीमती करुणा शुक्ला (जाँजगीर) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय मंत्री श्री शरद पवार जो बिल लाए हैं, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन कानून से यह देश कभी नहीं सुधर सकता। हम कानून बना देंगे, लेकिन अगर हम सामाजिक व्यवस्था नहीं लाएंगे, तो यह देश नहीं सुधरेगा, क्योंकि पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। वे स्पिरिट युक्त शराब नहीं पीएंगे तो दूसरी शराब पीएंगे। एक माननीय सदस्य शराब की बहुत सी वैरायटीज़ गिना रहे थे। हम भी टीवी में देखते रहते हैं कि जिस तरह शराब के एडवर्टाइज़मैंट्स आते हैं, वह लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। निश्चित रूप से गुजरात सरकार ने...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : गुजरात सरकार ने इसे बिल्कुल बंद कर दिया है।

श्रीमती करुणा शुक्ला : महिलाएं चाहेंगी कि इसे बिल्कुल बंद कर दिया जाए।...(व्यवधान)

गुजरात सरकार ने जिस दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया है, इसके लिए वह बधाई की पात्र है। देश के बाकी राज्य सरकारों को भी गुजरात सरकार से सबक लेना चाहिए, क्योंकि शराब से राजस्व बहुत कम आता है, लेकिन उसका देश पर जो प्रभाव पड़ रहा है, निश्चित रूप से माताएं और बहनें इससे ज्यादा प्रभावित हैं। शराबी शराब पीकर घर में आकर अगर किसी को पीटता है तो पत्नी ही पिटती है। निश्चित रूप से इस पर जो रोक लगा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप महिला सशक्तीकरण के लिए एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं।

मैं यह भी कहना चाहूंगी कि सिर्फ स्पिरिट युक्त शराब ही नहीं बल्कि इस देश में जितनी तरह की शराबें बनती हैं, चाहे वह महुआ से बने, चाहे काजू से फैनी बने, और भी जो शराबें बनती हैं, अगर सब पर प्रतिबंध लगेगा, तो मुझे लगता है कि हम गांधी जी के इस देश को बचाने में सफल होंगे, एक अच्छा, शक्तिशाली, सुघड़, सम्पन्न और बुराइयों से वर्जित देश बनाने में सफल होंगे।

श्री शरद पवार : सभापति महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में हिस्सा लिया, मैं उन सबका आभारी हूं क्योंकि स्पिरीचुअस प्रिपरेशन्स कंट्रोल एक्ट, 1995 रिपील करने के लिए सदन के सब साथियों ने सहयोग देने की भावना व्यक्त की। मैं सोचता था कि शायद इस प्रस्ताव को सदन के सामने लाने के बाद प्रोहीबिशन के बारे में जिनके मन में आदर और शक्ति की भावना है, हमारे उन साथियों को समझाना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। यहां जितने भााण हुए, उन सबको सुनने के बाद रिपील करने का जो प्रस्ताव यहां आया है, इसका पूरा स्वागत सभी सदस्यों ने किया। साथ ही यह भी बताया कि देश और अपने-अपने राज्यों में बड़ी सख्ती से प्रोहीबिशन करने की आवश्यकता है। यह बात सच है कि प्र ोहीबिशन स्टेट सब्जैक्ट है और स्टेट इस मायने में कोई कदम उठाने की स्थिति में है। गुजरात जैसे राज्य ने इस बारे में बहुत अच्छा काम किया है और उसका जिक्र यहां सदस्यों ने किया। जब स्टेट को अधिकार है तो सैंटर को इस बारे में अलग कानून बनाने की क्या आवश्यकता है। देश के सभी राज्यों में, एक-दो राज्यों को छोड़कर, इस बारे में अलग तरह की नीति स्वीकार की है और एक अलग माहोल पैदा हुआ है जिसकी मालूमात सदस्यों ने सदन के सामने की। जब स्टेट को अधिकार दिया गया है तो वह कानून बनाने के लिए सक्षम है। कई राज्यों ने इस बारे में कानून बनाए हैं और उन पर अमल भी कर रहे cé[R74]।

ऐसी परिस्थिति में भारत सरकार को एक अलग कानून की आवश्यकता नहीं थी और अलग कानून की आवश्यकता न देखकर ही यह बिल रिपील करने का प्रस्ताव सदन के सामने दिया। मुझे खुशी है कि इस बिल का सभी लोगों ने स्वागत किया है।

मद्यपान के बारे में सभी सैक्शन्स ने अपनी भावना अच्छी तरह से सदन के सामने रखी। यहां यह भी बताया गया कि वाइन के बारे में कोई बदलाव आ रहा है। यह बात सच है कि इस देश में इससे पहले वाइन का मार्केट नहीं था। आजकल इसमें परिवर्तन हो रहा है। जो कंट्रीलिकर है, जो देशी दारू है, उस पर रोक लगाने की कोशिश कुछ राज्यों में हो रही है। कुछ लोग इसका सेवन करना चाहते हैं, तो उनके लिए और हमारे लिए समस्या न बने, इस क्वालिटी का माल तैयार करने का प्रौसेस आज कई राज्यों ने शुरू किया है। इसका फर्क आज हम मार्केट, होटलों और रेस्तरों में भी देखते हैं क्योंकि कंट्रीलिकर के माध्यम से कई परिवारों में बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाती है जिसका जिक्र यहां किया गया। इसलिए इस बारे में कुछ करना हो, तो प्रेगमेटिक एप्रोच लेने की आवश्यकता है।

यहां बताया गया कि मंदिर, स्कूल के पास शराब की दुकानें खोलने की इजाजत को रोकने की आवश्यकता है। कई राज्य इस पर रोक लगाने के प्रयास भी कर रहे हैं। जहां शराब बेचने की इजाजत मिलती है वहां अच्छी क्वालिटी का मैटीरियल मिले ताकि उसका असर किसी व्यक्ति के शरीर पर न हो, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। कुछ राज्य इस बारे में ध्यान देते हैं। एक अच्छी बात है कि इसमें जो हीपोक्रेसी है, वह आजकल कम हो रही है। लोग साफ-साफ इस बारे में बोलने लगे हैं। कई राज्यों में इस बारे में कदम उठाये गये हैं, लेकिन उस राज्य के अंदर की परिस्थिति और राज्य सरकार की नीति में बहुत फर्क भी देखने को मिलता है।

सभापति महोदय, सदन को मालूम है कि मैंने तीन-चार बार एक राज्य की मुख्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाली है। एक दिन मैं अपने सब बजट प्रपोजल और इनकम प्रपोजल का रिव्यू कर रहा था, तो मेरे सामने एक्साइज के आंकड़ें आ गये। एक्साइज की इनकम में थोड़ी बढ़ोतरी हुई थी, ऐसी रिपोर्ट भी हमारे सामने आयी। मैंने आउट ऑफ क्रियोसिटी में देखने की शुरुआत की कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से हमें सबसे ज्यादा इनकम होती है। महाराट्र की सीमा जो गुजरात से मिलती है, वहां दादर-नागर हवेली नाम का एक अलग से हिस्सा है। वह केन्द्र शासित प्रदेश है। महाराट्र से वहां आफिशियली सबसे ज्यादा शराब ट्रांसफर होती है। वहां से हमें इनकम ज्यादा होती थी। हमने बारीकी से देखा कि दादर-नागर ह वेली की जो टोटल आबादी है, उस आबादी के हर व्यक्ति ने हर दिन शराब की दस बोतलों पीना शुरू कर दिया है। इस तरह हर दिन की जितनी आवश्यकता थी, उतनी बोतलें वहां जाती थी। हमने भी सोचा कि यह अजब है। इतनी छोटी आबादी है और वहां इतनी बोतलें जाती हैं। अब उसका पड़ोसी गुजरात है। इससे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। इसमें प्रेगमेटिक का एप्रोच नहीं हुआ इसलिए इस तरह की परिस्थिति पैदा होती है। इस बारे में समझदारी से काम करने की आवश्यकता है। हमें यह देखना होगा कि गलत तरह से, गलत क्वालिटी की लिकर बनाकर पूरे परिवार को ध्वस्त करने का जो काम होता है, उनके शरीर खराब करने की जो परिस्थिति होती है, उस पर रोक लगाने के लिए कोशिश करनी होगी। इसके साथ-साथ इन सब क्षेत्रों को समाज में इज्जत नहीं मिलेगी, इस पर भी हम लोगों को ध्यान देना होगा[p75]।

इस पर ध्यान देने के लिए जो कुछ कर सकते हैं, वह राज्य सरकारों के द्वारा किए जाने की आवश्यकता है। यहां पर यह जो बताया गया, खास तौर पर श्री बी.के. देव जी द्वारा, कि इसका खुला प्रसार नहीं होना चाहिए, मगर क्वालिटी के बारे में कुछ न कुछ करने की आवश्यकता है। आज मैं इसके बारे में बोल सकता हूँ। मुझे याद है कि वर्ा 1978 में जब मेरे पास मुख्यमंत्री के रूप में महाराट्र राज्य की जिम्मेदारी थी, उस समय हमारे एक वरिठ सहयोगी थे, जिन्होंने मुझे हमेशा मार्गदर्शन दिया और मुझसे हमेशा प्रीति रखी। उनका नाम बीजू पटनायक था। जब कभी कोई भी मेजर इश्यु होता या कोई नीति तैयार करनी होती थी तो मैं बीजू दा के साथ बैठकर उनकी सलाह लेता था। मुझे याद है कि एक दिन मोरार जी भाई ने सभी चीफ मिनिस्टर्स की एक मीटिंग बुलाई थी और उसमें प्रधानमंत्री जी ने इसके प्रोहिबिशन के बारे में कुछ कहा। इस पर बीजू दा की जो राय थी, उसे बताने के लिए बीजू दा उठ गए और जो कुछ बात साफ थी, उन्होंने साफ तरह से कही। उन्होंने सीधी बात कही कि मैं इसका प्रसार नहीं करूंगा, मैं इसका प्रचार नहीं करूंगा, खुली तरह से सभी लोगों को यह उपलब्ध हो, ऐसे नीति नहीं बनाउंगा, लेकिन साथ ही साथ मैं हिपोक्रेसी को भी स्वीकार नहीं करूंगा। जो बात सच है वह सच है। इसे रोकने की आवश्यकता है, लेकिन अगर आप इसे 100 प्रतिशत रोकने के लिए, कुछ रूकावट लगाने के लिए ऐसे ही कदम उठाएंगे तो लोग क्युरियॉसिटी में इस रास्ते पर जाने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमें देखना होगा कि लोगों तक गलत सामान न जाए और समाज के गरीब वर्ग के शरीर पर इसका कोई हानिकारक असर नहीं हो। इसे रोकने के लिए हम समाज में जागृति लाने की कोशिश करेंगे। ये काम मैं अपने राज्य में जरूर करूंगा, मगर साथ ही साथ मैं कभी भी किसी को यह नहीं कहूंगा कि हमने कभी जीवन में इसे हाथ नहीं लगाया है। यह बात कहने की कैपेसिटी बीजू दा में थी। तब यह बोलना बड़ा मुश्किल था। आज सदन में लोग इसके बारे में बोल रहे हैं, यह एक परिवर्तन और सुधार है।

मुझे विश्वास है कि राज्य सरकारों द्वारा गंभीरता से इस बारे में कदम उठाने की जो आवश्यकता है, वे उस पर ध्यान देंगी। भारत सरकार द्वारा इस पर कोई भी कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह राज्य का विाय है और जब राज्य का सब्जेक्ट होता है तब अलग से एक कानून यहां से बना कर रखना जिस पर हम अमल नहीं करते हैं, ऐसे कानून को बनाए रखने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए इसे रिपील करने का प्रस्ताव इस बिल के माध्यम से सदन के सामने लाया गया है। मुझे विश्वास है कि सदन इसे एकमत से स्वीकार करेगा।

MR. CHAIRMAN : The question is:

> "That the Bill to repeal the Spirituous Preparations (Inter-State Trade and Commerce) Control Act, 1955, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: The House shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

The question is:

> "That clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

- - -

SHRI SHARAD PAWAR: I beg to move:

> "That the Bill be passed."

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That the Bill be passed."

The motion was adopted[R76].